न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– मिथलेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–29/20

1. रामेश्वरी पत्नी जिसकाराम जाति बिश्नोई निवास अलाय हाल चक 10 केवाईडी 'बी' खाजूवाला जिला बीकानेर ।

..... प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. प्रार्थीया एवं श्री जिसकाराम पति प्रार्थीया की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट

आदेश दिनांक :– 19.11.2020

यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया ने अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना–पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है। प्रार्थीया के नाम से चक 10 केजेडी (बी) का मु0नं0 157/12 व मु0नं0 137/53 की 33 बीघा कृषि भूमि है, जो कि उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीया के पति का वास्तविक नाम जिसकाराम है समस्त दस्तावेजों में भी जिसकाराम अंकित है लेकिन प्रार्थीया की उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में जिसकाराम के स्थान पर जसकाराम दर्ज हो गया जो संशोधन योग्य है। अतः प्रार्थीया के उक्त राजस्व रिकार्ड में संशोधन कर प्रार्थीया का नाम रामेश्वरी पत्नी जिसकाराम जाति बिश्नोई निवास अलाय तहसील व जिला नागौर दर्ज करने की इस्तदुवा चाही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.01.06 20:27:20 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रा0 पत्र तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को पेश किया गया था जो रिपोर्ट पटवारी बाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । साक्ष्य प्रार्थीया लिये। प्रार्थीया द्वारा अपने पति की एक अन्य जमाबंदी चक 20 बीडी मु0नं0 96/34 की प्रति पेश की गई साथ ही प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधारकार्ड में प्रार्थीया के पति नाम का जिसकाराम ही लिखा गया है। इस संबंध में प्रार्थीया की ग्राम पंचायत अलाय नागौर द्वारा भी पति का नाम जिसकाराम प्रमाणित किया है तथा प्रार्थीया द्वारा भी इस बाबत शपथपत्र दिया गया है। बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया जिसमें प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत पति की उक्त कृषि भूमि की अलावा अन्य जमाबंदी, ग्रामपंचायत प्रमाण पत्र, आधारकार्ड, शपथपत्र व रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रार्थीया के पति का नाम जसकाराम सहवन से हो गया है तथा दुरस्त योग्य है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थीया के पति का नाम जसकाराम के स्थान पर जिसकाराम दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मिथलेश कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.01.06 20:27:20 IST
Reason: SelfAttested